



# दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा अनुभाग RAJBHASHA SECTION)

कमरा संख्या : 308, तृतीय तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1807)

Room No. 308, 3<sup>rd</sup> Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1807)

फाइल संख्या: आरबीसी/01/2013/3647-3879

दिनांक: 11-03-2013.  
12

59569-801

## परिपत्र CIRCULAR

**विषय :** 'क' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना ।

**Sub :** Reply in Hindi of the letters received in English from Region 'A'.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के 26 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या:14034/15/87-रा.भा.(क-1) में दिए गए निदेशों के अनुसार 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/संस्थानों तथा राज्यों या संघ क्षेत्रों और उनके अधीन कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने चाहिए।

As per the directives issued vide O.M. No. : 14034/15/87-O.L(A-I), dt. 26<sup>th</sup> February 1988 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language reply to English Letters received in Central Government Offices located in region "A" and "B" from Central Govt. offices/Banks/PSU's/Institutes and State or UT's or their subordinate offices located in region "A" should be given in Hindi.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/संस्थानों तथा राज्यों या संघ क्षेत्रों और उनके अधीन कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दें।

In view of the above, All Officers of the University are hereby requested to reply to English letter received from Central Government offices/Banks/PSU's/Institutes and State or UT's or their subordinate offices located in region "A" in Hindi.

'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र की परिभाषा निम्नानुसार है Definitions of Region "A", "B" and "C" is as follows:

'क', क्षेत्र Region "A"	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand and the Union Territories of Delhi and Andaman and Nicobar Islands.
'ख' क्षेत्र Region "B"	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and the Union Territories of Chandigarh, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
'ग' क्षेत्र Region "C"	'क', एवं 'ख' क्षेत्र में सम्मिलित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से अतिरिक्त सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। States and Union Territories other than those included in Regions "A" & "B"

.....2/-

उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित जाँच बिंदु बनाए जाते हैं :  
With a view to ensure the compliance of the above instructions, following check-points are hereby made:

**जाँच बिंदु Check-point-1 :**

“क” क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/संस्थानों तथा राज्यों या संघ क्षेत्रों और उनके अधीन कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर का मसौदा तैयार करने वाला अधिकारी/कर्मचारी यह ध्यान रखे कि उस पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाना है।

The Officer/Employee preparing the draft of the reply to communications received in English from Central Government Offices/Banks/PSU's/Institutes and State or UT's or their subordinate offices located in region “A” should take care that such communication are to be replied in Hindi.


**जाँच बिंदु Check-point-2 :**

ऐसे पत्रों के उत्तर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तर हिंदी भाषा में है।

The Officer signing the reply to such communications should ensure before signing that the reply is in Hindi Language.

विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों/शिक्षकों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने अधीन कार्यरत स्टाफ को अवगत कराएं तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

All the Officers/Teachers of the University are requested that contents of this circular may be brought to the notice of the staff working under them and ensure compliance.

  
कुलसचिव Registrar

**प्रति To:**

सभी विभाग/कार्यालय/अनुभाग प्रमुख  
All Department/Office/Section Heads

**प्रतिलिपि Copy to :**

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालय एवं अध्यक्ष, रा.भ.का.स. - कृपया सूचनार्थ
2. निदेशक, कंप्यूटर केंद्र - अनुरोध है कि कृपया इसे वेबसाइट(इंटरनेट) पर अपलोड करें।